न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 40/2013

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 भागीरथ सिंह पुत्र गणपत सिंह आयु 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम ढ़हर का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 कुनणाराम आयु 50 वर्ष पुत्र लक्ष्मणराम।
2 मगनाराम आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मणराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़हर का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 डूंगरमल आयु 42 वर्ष पुत्र सेवा।
4 सांवरा आयु 38 वर्ष पुत्र सेवा।
5 शंकर आयु 35 वर्ष पुत्र सेवा समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
6 भंवर सिंह आयु 60 वर्ष पुत्र कानसिंह।
7 पूर्णसिंह आयु 58 वर्ष पुत्र कानसिंह।
8 डालसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र कानसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

9 मगनसिंह आयु 53 वर्ष पुत्र कानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़हर का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

10 रिछपाल सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र जैसाराम।

11 सांवरा आयु 30 वर्ष पुत्र जैसाराम।

12 रामूड़ी आयु 65 वर्ष पत्नी जैसाराम।

13 चूना आयु 65 वर्ष पुत्र रूघाराम।

14 गणेशाराम आयु 60वर्ष पुत्र रूघाराम।

15 झाबरमल आयु 20 वर्ष पुत्र डूंगाराम।

16 हरिश आयु 18 वर्ष पुत्र डूंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढ़हर का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

17 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

आवेदन कायम मुकाम

उपस्थित

1. श्री सुरजभान सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भंवरलाल बिजारणियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–05.11.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व ...

इस न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 40/2013 में अपीलांट भागीरथसिंह की मृत्यु पर प्रार्थी हनुमान सिंह की और से आवेदन कायम मुकाम प्रस्तुत किया गया इस आवेदन के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन एंव शपथ पत्र बाबत धारा 5 प्रस्तुत किये गये है। इस आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि भागीरथ सिंह अपीलांट की मृत्यु 11.03.2015 को हो गई दिनांक 18.06.2018 को जानकारी होने पर कायम मुकाम का आवेदन पेश कर दिया गया साथ में धारा 5 का आवेदन एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। खातेदार के वाद की उनके वारिसान को जानकारी हो यह आवश्यक नही हैं अत आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी के आवेदन में अंकित तथ्य बनावटी है दिनांक 17.06.2018 को किस रेस्पोडेट से यह जानकारी हुई। यह अंकित नही किया है 3 साल के विलम्ब का कोई कारण अंकित नही किया है नियमानुसार निर्धारित समय में कायम मुकाम पेश नही करने पर अपील अबैट हो चुकी है। अबेटमेंट को निरस्त करवाने का कोई आवेदन आदिनांक तक पेश नही किया गया है। अपील अबैट घोषित की जायें।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट ने कभी भी यह जाहिर नही किया कि अपीलांट की मृत्यु हो चुकी है एवं हमारे द्वारा जानबुझकर विलम्ब किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट भागीरथ सिंह की मृत्यु 11.03.2015 को हो चुकी है जिसकी पुष्टि प्रार्थी के आवेदन से होती है। विधि अनुसार 11.03.2015 के उपरान्त निर्धारित अवधि में कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत नही करने से अपील अबैट हो चुकी है अबैटमेंट को निरस्त करवाने के लिये भी समय सीमा विधि में निर्धारित है। प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक अबैटमेंट निरस्त करवाने का आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है यद्यपि प्रार्थी ने अपने आवेदन में विलम्ब का समुचित कारण अंकित नही किया है साथ ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है तथापि यदि प्रार्थी का कथन स्वीकार किया जाये तो अपील की जानकारी प्रार्थी को 17.06.2018 को हो चुकी थी इसके पश्चात भी निर्धारित अवधि में आदिनांक तक अबैटमेंट निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का कायम मुकाम का आवेदन स्वीकार योग्य नही पाया जाता है एवं अपील अबैट घोषित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर